दैनिक भास्कर भीलवाड़ा 07-09-2021

DIPR/C/......./2021

राजस्थान आवासन मण्डल

आवश्यक सूचना

आवास नंबर आवंटन हेतु लॉटरी

राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पति निस्तारण अधिनियम 1970 के विभिन्न प्रावधानो के अर्न्तगत पटेल नगर विस्तार, पार्ट–2, भीलवाड़ा के नवीन पंजीकरण योजना वर्ष 2020 के आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयवर्ग के 142 एवं अल्प आयवर्ग के 28 पंजीकृत प्रतिक्षारत योग्य आवेदक जिन्होने देय पूर्व ग्रहण राशि जमा करा दी है तथा आवास सख्या आवंटित होना शेष है को लॉटरी के माध्यम से आवास संख्या आवंटन निम्न कार्यक्रम के अनुसार किया जाना प्रस्तावित हैं।

क्र.सं.	कार्यक्रम	दिनांक / समय
1	योग्य / अयोग्य आवेदको की पूर्णतया अस्थायी सूची का प्रदर्शन **(कार्यालय नोटिस बोर्ड एवं बोर्ड वेबसाईट)**	13.09.2021 सायं 5.00 बजे
2	अस्थायी सूची पर आक्षेप प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	20.09.2021 सायं 3.00 बजे तक
3	आक्षेप प्राप्ति के बाद योग्य आवेदको की अंतिम स्थायी सूची का प्रदर्शन **(कार्यालय नोटिस बोर्ड एवं बोर्ड वेबसाईट)**	21.09.2021 सायं 4.00 बजे
4	लॉटरी की कार्यवाही (जिला आवंटन समिति की बैठक)	23.09.2021 दोपहर 02.00 बजे

लॉटरी का स्थान :– कार्यालय आवासीय अभियंता, सी – 289–290, आर. के. कॉलोनी, भीलवाडा में ऑनलाईन कम्प्यूटर रेण्डम प्रणाली द्वारा की जायेगी।

अतः योजना से सम्बधित समस्त आवेदक जिनको इस कार्यालय द्वारा पूर्व में ही आरक्षण पत्र जारी कर पूर्वग्रहण राशि (सीडमनी) जमा कराने हेतु सूचित किया जा चुका है उन सभी आवेदको को पुनः सूचित किया जाता है यदि आपने पूर्व ग्रहण राशि की किश्ते जमा करा दी हो तो चालान की प्रति / अथवा नहीं जमा कराई हो तो दिनांक 20.09.2021 तक बकाया पूर्व ग्रहण राशि मय जीएसटी जमा कराकर चालान की प्रति इस कार्यालय में दिनांक 20.09.2021 को अपरान्ह 3:00 बजे तक प्रस्तुत कर देवें। अन्यथा आवास आवंटन लॉटरी में शामिल होने से वंचित रहने पर राजस्थान आवासन मण्डल की कोई जिम्मेदारी नही होगी। उक्त कार्यवाही से सम्बधित व अन्य प्रकरणों हेतु जिला आवंटन समिति (राजस्थान आवासन मण्डल) के द्वारा लिये गये निर्णय अंतिम एंव मान्य होंगे। अन्य संबन्धित जानकारी के लिये आवासीय अभियंता भीलवाड़ा के कार्यालय में अथवा फोन नं. 01482–220312, 297512 पर सम्पर्क किया जा सकता है तथा मण्डल की वेबसाईट **https://urban.rajasthan.gov.in/rhb** पर भी देखी जा सकती हैं।

राज.संवाद / सी / 2021–22 / 5642

आवासीय अभियन्ता, खण्ड-भीलवाड़ा